

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 937 / 10

संस्थित दिनांक -07 / 06 / 10

F.No.-234503000832010

म0प्र0 राज्य द्वारा, चौकी उकवा थाना रुपझर

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// विरुद्ध //

1. सुरेन्द्र पिता लिखनसिंह मरकाम, उम्र-20 वर्ष,
 2. विक्रम पिता मानसिंह मेरावी, उम्र-19 वर्ष,
 3. गणेश पिता माहुलाल, जाति गोंड, उम्र-28 वर्ष, (फौत)
 4. गज्जू पिता देवाजी, उम्र-20 वर्ष, जाति गोंड,
 5. राजेन्द्र पिता देवाजी, उम्र-25 वर्ष, जाति गोंड,
 6. भुरु उर्फ रूपचंद पिता मोहनसिंह धुर्वे, उम्र-18 वर्ष, जाति गोंड,
 7. किसन उर्फ किसनू पिता धरमलाल, उम्र-21 वर्ष, जाति गोंड, (फौत)
- सभी निवासी ग्राम दलदला थाना रुपझर जिला बालाघाट म0प्र0

.....आरोपीगण

::निर्णय::

{ दिनांक **27.09.2017** को घोषित }

01. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-294, 323/34, 509/34 एवं, 506 भाग-दो के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.05.2010 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम दलदला धानीटोला थाना रुपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप प्रार्थी को माँ-बहन की चोदू की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सहआरोपी के साथ उपहति कारित करने के आशय से सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी सुनीता, आहत साहोबाई, थानेश्वर को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, सहआरोपी के साथ प्रार्थी सुनीता जो कि एक स्त्री है कि लज्जा का अनादर करने के आशय से डार्लिंग शब्द उच्चारित कर उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया तथा प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी उकवा

प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 0/10 धारा-147, 294,, 323, 506, 509 भा.दं०सं० की एफ.आई.आर. असल नंबरी हेतु लाकर दिये थे, जिसमें लेख है कि फरियादिया सुनीताबाई ग्राम सिंधबाघ बैहर उसकी छोटी बहन की शादी ग्राम दलदला में सुरेश भलावी से दिनांक 28.05.2010 को हुई थी और वह लोग दिनांक 29.05.2010 को शाम को चौथिया बारात लड़की लेने गये थे, सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी एक लड़का जिसे वह नहीं जानती, उसकी भाभी की बहन है, तो उसकी भी भाभी होगी कहकर उसके पास खाना खाने बैठ गया और उसे डार्लिंग कहकर उसकी पप्पी लेने हो रहा था, तो थानेश्वर यादव ने बोला सबके घर माँ-बहन है, ऐसा क्यों करते हो, तो तू कौन होता है बोलने वाला, कहकर थानेश्वर को बाहर निकाला और तेरी माँ-बहन को चोदू की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा और जब वह बोलने गई, तो उसे भी कुतिया, साली मादरचोद कहकर माँ-बहन की गालियाँ दिया, तभी ग्राम दलदला का सरपंच और उसके 5-6 लड़के आये और माँ-बहन की चोदू की गालियाँ देने लगे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। थानेश्वर को नीचे पटक दिये और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने लगे, वह, बलमसिंह, संगोबाई, शामबती ने बीच-बचाव करने आये तो उनको भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये। उसके बांये आंख के नीचे चोट आई थी तथा थानेश्वर को बांये आंख के नीचे और दाहिने तरफ चोट आई थी। लड़ाई-झगड़े में उसका मंगलसूत्र टूटकर गिर गया था और पैसे ही गिर गये थे, जिसे ढूँढने पर नहीं मिले थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध कायम कर दौरान विवेचना प्रार्थी आहतगण का मुलाहिजा कराकर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाकर गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. प्रकरण में अभियुक्त गणेश तथा किसन उर्फ किसनू की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध प्रकरण का उपशमन कर दिया गया है तथा शेष अभियुक्तगण ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है, कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 29.05.2010 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम दलदला धानीटोला थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप प्रार्थी को माँ-बहन की चोदू की अश्लील

गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

(2) क्या आरोपीगण ने उक्त घटना समय व स्थान पर सहआरोपी के साथ उपहति कारित करने के आशय से सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी सुनीता, आहत साहोबाई, थानेश्वर को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया?

(3) क्या सहआरोपी के साथ प्रार्थी सुनीता जो कि एक स्त्री है कि लज्जा का अनादर करने के आशय से डार्लिंग शब्द उच्चारित कर उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया ?

(4) क्या प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04

05. साक्षी सुनीताबाई अ0सा0-01 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना पिछले वर्ष मई माह के रात्रि लगभग 09:00 बजे की है। उन लोग दलदला गांव बारात में गये थे, वहाँ पर खाजा के समय पोहा वगैरह खा रहे थे, उसी समय आरोपी सुरेन्द्र और एक लड़का आये और उसके पास चिपड़-चिपड़ करने लगे कि भाभी ये खा लो वो खा लो, तभी उसके साथ के लड़का थानेश्वर ने उन दोनों से कहा कि लेडिसों के बीच क्या करते हो, तो आरोपीगण सभी लोग आ गये और सभी लोग मिलकर थानेश्वर को मारने लगे, फिर उन लोग वहाँ से भागे पूरे बाराती को मारने घराती होने लगे, फिर उन लोग वहाँ से निकले फिर बाद में उसने देखा कि उसकी तीन साल की बच्ची नहीं थी, जो वहाँ छूट गई थी, फिर उन्होंने थाना उकवा चौकी में जाकर रिपोर्ट की थी जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त घटना में उसे भी चोट आयी थी और उसका मुलाहिजा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये।

06. साक्षी सुनीताबाई अ0सा0-01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि उसने पुलिस को बयान दिया था और बयान देते समय मारपीट करने वाली बात रात के 9:00 बजे की है बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने बयान देते समय पुलिस को बता दिया था कि आरोपी सुरेन्द्र ने कहा था कि चिपड़-चिपड़ करते हो। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। उसने पुलिस को

बयान देते समय बता दिया था कि लेडिसों के बीच क्या करते हो। उसने पुलिस को उसकी छोटी बच्ची वहीं रह गई है वाली बात बता दिया था। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया कि उन लोग चौकी रात के 02 बजे गये थे और बच्ची छूट गई है, इसकी चौकी में रिपोर्ट करवाये थे तथा मौके पर शादी होने के कारण काफी भीड़ थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि भीड़ के कारण किसने किसको मारा यह नहीं बता सकती। साक्षी के अनुसार थाने में पकड़कर लाये थे, तब भी उन्होंने पहचाना था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण ने नहीं मारे थे तथा मौके पर अंधेरा था। साक्षी के अनुसार डेकोरेशन की लाईट जल रही थी, जिसका उजाला था।

07. साक्षी सुनीताबाई अ0सा0-01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण शादी में नहीं गये थे और मौके पर नहीं थे। वह एक-एक आरोपी को चेहरे से नहीं जानती, परन्तु सुरेन्द्र को अच्छे से जानती हूँ, जिसने अपने साथियों के नाम बता दिये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने घटना के दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट करवाई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने 5-6 लड़के थे, ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। साक्षी के अनुसार उसने केवल सुरेन्द्र का नाम बताया था और सुरेन्द्र ने बादमें अन्य लड़कों का नाम बताया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना के समय दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो गये थे। साक्षी के अनुसार सभी बूढ़े, बच्चे खा पीकर चले गये थे, केवल लड़के-लड़के बचे थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह नहीं बता सकती कि कौन किसको मार रहे थे। साक्षी के अनुसार थानेश्वर को मार रहे थे, तब उसने बीचबचाव किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी तथा उसने थानेश्वर के कहने पर चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि रिपोर्ट करने के 10-15 मिनट बाद पुलिस वाले चौकी से चले गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि थानेश्वर उसके गांव का है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि बारात में थानेश्वर शादी की महिलाओं से बदतमीजी कर रहा था तो इस बात पर गांव वालों ने आपत्ति की थी, तब विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की मारा-मारी हुई थी और फिर आरोपीगण का नाम पता नहीं था, तो मन से नाम लिखा दिया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि थानेश्वर का आरोपीगण के साथ सिंधबाघ में कोई विवाद हुआ था, इसी कारण से वह थानेश्वर के साथ मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा बयान दे रही है। उक्त साक्षी परिवादी है, जिसने अपने परीक्षण में

अश्लील गालियों, लल्ला के अनादर तथा अभित्रास के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

08. साक्षी थानेश्वर अ0सा0-02 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। आहत सुनीताबाई रिस्ते में उसकी मौसी हैं। घटना वर्ष 2010 की है। घटना दिनांक को वह बारात गया हुआ था। उनके साथ महिलाएँ भी थी, तब आरोपीगण सुनीता के साथ छेड़छाड़ करने लगे, तब उसने आरोपीगण को छेड़छाड़ करने से मना किया, तो आरोपीगण मारपीट करने लगे थे। उसे आज ध्यान नहीं है कि उसे कहां-कहां चोट आई थी। उसका मुलाहिजा शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे दोनों आंखों के पास चोटें आई थी, मारपीट के दौरान उसे चोट लगी थी और उसका मुलाहिजा हुआ था, उसे चार चोटें आई थी तथा घटना काफी पुरानी होने से उसने मुख्यपरीक्षण में चोट आने वाली बात नहीं बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि डॉक्टर के द्वारा उसकी चोटों का परीक्षण किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बारात में भीड़भाड़ थी। बारात में ग्राम दलदला एवं उसके ग्राम की भी महिलायें थी। यह अस्वीकार किया कि वह एकदम से लामा-झुमी हो रहे थे तथा भीड़भाड़ होने के कारण भगदड़ हो गई थी, इस कारण उसे चोट आई थी। यह अस्वीकार किया कि उसे गिरने से चोट आई थी। यह स्वीकार किया कि वह आरोपीगण को नाम से नहीं जानता है। साक्षी के अनुसार चेहरे से पहचानता है। यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। उसने आरोपीगण के विरुद्ध रंजिशवश झूठी रिपोर्ट लिखवाया था।

09. साक्षी सुरेश अ0सा0-03 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थिया सुनीताबाई को जानता है, सुनीताबाई उसकी अकड़सास हैं। घटना वर्ष 2010 में पांचवे महिने की है। घटना दिनांक को वह बारात गया था। बाराती लोग पंडाल के नीचे बैठे हुए थे, वह उस समय घर के अंदर था, हल्ला होने पर बाहर निकला तो आरोपीगण बारातियों एवं बारातीगण आरोपीगण को गाली-गलौच कर रहे थे। उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा था तथा सुनीताबाई ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके सामने आरोपीगण सुनीताबाई, थानेश्वर और बारातीगण को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सुनीताबाई ने उसे झगड़े के तीसरे दिन सरपंच सुरेन्द्र मरकाम उसकी पप्पी लेने को हो रहा था, बताया था। यह अस्वीकार किया कि बाराती आरोपीगण को गाली-गलौच नहीं कर रहे थे। उसने पुलिस को प्र.पी.02 का पुलिस कथन न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि वह आरोपीगण से मिल गया है इसलिये उन्हें बचाने के लिये झूठे कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि शादी का माहोल था, इसलिये पुलिस ने उससे बयान नहीं लिये क्योंकि वह उस समय शादी में था। यह स्वीकार किया कि पुलिस ने प्र.पी.02 का बयान अपने मन से लिख लिया

था। यह अस्वीकार किया कि सुनीताबाई ने उसे कोई बात नहीं बताई थी। यह स्वीकार किया कि सुनीताबाई अपने घर आ गई थी। यह स्वीकार किया कि सुनीताबाई ने पप्पी लेने वाली बात बताई थी वह झूठ है या सच है वह नहीं बता सकता, क्योंकि उसने देखा नहीं है। वह नहीं बता सकता कि बारातियों ने आरोपीगण को सिंधबाघ में मारे थे। यह अस्वीकार किया कि उक्त विवाद के समय सुनीताबाई थी तथा सुनीताबाई ने उसे झूठी बात बताई थी। यह स्वीकार किया कि आरोपीगण घटना दिनांक को उसके घर के मंडप के नीचे थे। यह अस्वीकार किया कि आरोपी गणेश और विक्रम उसके घर में नहीं आये थे।

10. साक्षी जयकुंवरबाई अ.सा.04 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है तथा प्रार्थी सुनीताबाई को जानती है। उसके घटना की कोई जानकारी नहीं है। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके लड़के सुरेश की शादी का चौथिया बारात का कार्यक्रम दिनांक 29.05.2010 को था और बारातीगण आये थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि रात्रि 11-12 बजे आरोपीगण थानेश्वर और सुनीताबाई को माँ-बहन की चोदू की गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उसकी बहू की बड़ी बहन सुनीता खाना खाने बैठी थी, तो उसके पास सरपंच आकर पप्पी लेने वाली कोई बात कही थी। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि आरोपीगण ने कोई मारपीट की थी। साक्षी के अनुसार बारात का कार्यक्रम था और वह घर के अन्दर अन्य कार्यों में व्यस्त थी। वह न तो आरोपीगण को जानती है और ना ही उसे घटना की कोई जानकारी है। उसने पुलिस को प्र.पी.03 का पुलिस कथन न देना व्यक्त किया।

11. साक्षी सांगोबाई अ0सा0-05 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है। वह आहत सुनीताबाई को जानती है। घटना उसकी साक्ष्य देने की तिथि से लगभग तीन साल पूर्व की है। घटना दिनांक को वह गायत्रीबाई को लेने दलदला चौथिया बारात में गयी थी। घटना दिनांक को ग्राम दलदला के सरपंच ने चौथिया बारात में गये लड़कों को मारने के लिए कहा था। सरपंच के कहने पर वहाँ के 30-35 लोगों ने पत्थर और लकड़ी से उन लोगों को मारपीट करना चालू कर दिया था। उसे भी उन लोगों के द्वारा ढकला गया था, जिससे उसे चोट आई थी और बारातियों को मारपीट में चोट आयी थी। वह मारपीट करने वाले लोगों के नाम नहीं जानती है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि बारात में दलदला, सिंगबाघ, धानीटोला के लोग और रिश्तेदार थे। कौन किसको मार रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। घटना रात्रि की थी। उसने पुलिस को 30-35 लोग मार रहे थे बता दी थी, उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। यह स्वीकार किया कि भागम-भाग होने के कारण उसे चोट आई थी। भीड़ में सब लोग तितर-बितर हो गये थे। यह स्वीकार किया कि सिंगबाघ की मारपीट के संबंध में उसे जानकारी नहीं है। घटनास्थल पर राजेन्द्र, विक्रम, भुरू, गणेश, सुरेन्द्र नहीं थे।

12. साक्षी श्यामबतीबाई अ0सा0-06 का कथन है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना तीन-चार साल पहले की है, घटना दिनांक को उन लोग चौथिया बारात में ग्राम दलदला गये थे, तभी रात्रि ग्यारह बजे वहाँ पर मारपीट चालू हो गयी थी। आरोपीगण ने लड़ाई-झगडा कर मारपीट किये थे। जिसमें थानेश्वर, सुनीताबाई, साहोबाई को चोट आयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मारपीट किस बात को लेकर हुई थी उसे जानकारी नहीं है तथा वह दलदला से बारात सिंगबाघ बाद में आई थी। उसे जानकारी नहीं है कि थानेश्वर वगैरह ने बारात में आये लोगों से मारपीट किये थे या नहीं। यह स्वीकार किया कि उन लोग दलदला से बारात लेकर गये थे, तब वहाँ पर काफी भीड़ थी। ग्राम दलदला का सरपंच कौन है उसे जानकारी नहीं है। भीड़भाड़ के कारण वह नहीं बता सकती कि कौन-कौन मार रहे थे। उन लोग घटना दिनांक को ही वहाँ से वापस आ गये थे। घटना के बाद उन लोग ग्राम दलदला में नहीं गये। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। यह अस्वीकार किया कि थानेश्वर वगैरह ने थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराये थे।

13. साक्षी भैयालाल अ0सा0-07 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी सुनीता को जानता है तथा आहतगण को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ की थी, परन्तु बयान लिया था या नहीं, बता नहीं सकता। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि दिनांक 29.05.2010 को उनके घर बैहर सिंगबाघ से एक चौथिया बारात लड़की को लेने आये थे। यह अस्वीकार किया कि जब वह मण्डप में खड़ा था, तो थानेश्वर यादव को आरोपीगण माँ-बहन की चोदू की गंदी-गंदी गाली देकर हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी और जब सुनीताबाई, ज्ञानवतीबाई और सांगोबाई बीचबचाव करने आई तो आरोपीगण ने उनके साथ भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपी सुरेन्द्र ने सुनीताबाई को यह कहकर कि तुम भी उसकी भाभी हो, पप्पी लेने को कह रहा था, जिसे थानेश्वर ने मना किया तो उसको पटककर मारपीट किया था तथा उसने पुलिस को प्र.पी.04 का पुलिस कथन दिया था। यह स्वीकार किया कि आरोपीगण उसके ही गांव के टोले के निवासी है। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण से उसके अच्छे संबंध है, इसलिये वह उनके पक्ष में बयान दे रहा है।

14. डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी अ0सा0-08 का कथन है कि वह दिनांक 31.05.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक देवेन्द्र क.207 थाना बैहर द्वारा सुनीताबाई को परीक्षण हेतु लाया गया था। परीक्षण पर उसने आहत को एक खरौंच ओंठ के बायें तरफ तथा मुदी हुई चोट कमर के पास लाल-नीले रंग की पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि सख्त व बोथरी वस्तु से आ सकती है एवं उसके परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक

को उसी आरक्षक द्वारा आहत साहीबाई को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें आहत को कोई बाहरी चोट नहीं थी। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत थानेश्वर को परीक्षण हेतु लाने पर उसने परीक्षण किया था, जिसमें आहत को एक मुंदी हुई चोट आंख के नीचे लाल-नीले रंग की, एक खरौंच कमर पर, एक खरौंच नाक के उपर तथा एक मुंदी हुई चोट सीने के बाहर तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार चोटें साधारण प्रकृति की थी जो कि सख्त व बोथरी हथियार से आ सकती है एवं उसके परीक्षण के 24 घण्टे के भीतर की है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहत सुनीताबाई को आई चोटें तथा आहत थानेश्वर को आई सभी चोटें गिरने से आ सकती हैं।

15. साक्षी जगदीश गेडाम अ0सा0-09 का कथन है कि वह दिनांक 30.05.10 को चौकी उकवा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सुनीताबाई की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा दलदला के सरपंच एवं 5-6 लड़कों के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 0/10 धारा 147, 294, 323, 509, 506 भा.दं.सं. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.01 लेख किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन को असल नम्बरी हेतु थाना भेजा गया था, जिसकी असल कायमी प्रधान आरक्षक लक्ष्मीप्रसाद चौधरी के द्वारा की गयी थी, जो प्रदर्श पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर लक्ष्मीप्रसाद चौधरी के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर से वह परिचित है। विवेचना के दौरान दिनांक 30.05.10 को सुरेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया सुनीताबाई, साक्षी थानेश्वर दिनांक 02.06.10 को साक्षी सुरेश, जयकुंवरबाई, सांगोबाई, श्यामबतीबाई, भैयालाल, बलमसिंह, के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। आहतगण को दिनांक 30.05.10 को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बैहर भेजा था। दिनांक 02.06.10 को आरोपी विक्रम, गणेश, गज्जू कुसरे, राजेन्द्र, रूपचंद उर्फ भूरू, सुरेन्द्र मरकाम, किशन उर्फ किशनू को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.10 लगायत प्र.पी.16 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.01 की रिपोर्ट थानेश्वर ने लेख कराया था। साक्षी के अनुसार सुनीता ने लेख कराई थी, जिसपर सुनीता के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त रिपोर्ट सुबह के समय लेख की गई थी तथा सुनीता के साथ थानेश्वर भी आया था। यह अस्वीकार किया कि उसने थाने में बैठकर मौका नक्शा तैयार किया था। यह अस्वीकार किया कि वाहन दुर्घटना में आहत हुये व्यक्तियों का मुलाहिजा कराकर प्रकरण में पेश किया गया है। यह भी अस्वीकार किया कि आहतगण ने स्वयं चोट कारित कर आरोपीगण के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराया है।

16. प्रकरण में परिवादी सुनीता अ.सा.01 द्वारा स्वयं की लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 की पुष्टि नहीं की गई है और प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि बच्ची छुटने की रिपोर्ट लिखाने वह चौकी गई थी। साक्षी के अनुसार वह लोग रात दो बजे ही चौकी चले गये थे, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 6:40 बजे दर्शित है। साक्षी ने अभियोजन कहानी के विपरीत अश्लील गालियों और लज्जा के अनादर संबंधी कोई कथन नहीं किये हैं तथा स्वयं से मारपीट होने के संबंध में कोई विशिष्ट कथन न कर घटना के समय घराती द्वारा बराती को मारने के लिये होना व्यक्त किया। घटना की अन्य आहत सारोबाई अ.सा.05 ने उसे भागम-भाग के दौरान चोट आना व्यक्त कर घटना के समय 30-35 लोगों द्वारा मारपीट करने के कथन किये हैं तथा कहा है कि कौन किसको मार रहा था, उसे जानकारी नहीं है। चिकित्सा साक्ष्य से भी उक्त साक्षी को घटना के समय चोटें नहीं आना दर्शित है। साक्षी श्यामबती अ.सा.06 ने भी कथन किया है कि भीड़-भाड़ के कारण कौन किसको मार रहा था वह नहीं बता सकती। यद्यपि चिकित्सा साक्ष्य से घटना के समय आहत थानेश्वर तथा सुनीता को चोटें आने की पुष्टि होती है। तथापि साक्षीगण के अभियोजन कहानी के विपरीत विरोधाभासी कथनों से अभियोजन कहानी पर युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

17. प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा क्षोभ कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित करने के संबंध में लेश मात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं हैं तथा किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। लज्जा के अनादरण के संबंध में स्वयं परिवादी द्वारा कोई विशिष्ट कथन नहीं किये गये हैं, जिससे उक्त संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

18. अतः अभियोजन उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 29.05.2010 को समय 11:30 बजे स्थान ग्राम दलदला धानीटोला थाना रूपझर जिला बालाघाट में लोकस्थान या उसके समीप प्रार्थी को माँ-बहन की चोदू की अश्लील गालियाँ देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर सहआरोपी के साथ उपहति कारित करने के आशय से सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी सुनीता, आहत साहोबाई, थानेश्वर को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर, सहआरोपी के साथ प्रार्थी सुनीता जो कि एक स्त्री है कि लज्जा का अनादर करने के आशय से डार्लिंग शब्द उच्चारित कर उसकी एकांतता का अतिक्रमण किया तथा प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्तगण

को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 509/34 एवं, 506 भाग-दो के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

20. अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)